

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ त.क. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक आर-472/आठ-परि/2020.—कोरोना वायरस (कोविड-19) के महामारी के संक्रमण के परिणामस्वरूप, लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण, यात्री बसों के संचालन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, यात्री वाहनों से संबंधित मोटरयान कर के भुगतान में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :—

1. समस्त यात्री बसों के लिए माह-जून 2020 की अवधि के लिए देय मासिक कर के भुगतान से पूर्णतः छूट.
2. (क) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1991 के नियम 11 एवं नियम 12 में निहित निर्बंधन एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, दो माह की कालावधि के लिए अग्रिम में देय मासिक कर को जमा करने में छूट.
(ख) दो माह की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् अग्रिम में मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान पूर्वानुसार स्वतः ही प्रभावशील हो जायेगा.
3. यह अधिसूचना राजपत्र में जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी.

No. R-472/8/Trans/2020.—As a result epidemic circumstances arising from lockdown, in view of the difficulties faced in the operation of passanger buses, the State Government, hereby, exercise the power conferred by section 21 of Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Act 1991 (No. 25 of 1991), exempts, in payment of motor vehicle tax in respect of passanger buses as follows—

1. Complete exemption from payment of monthly tax payable for all passanger buses for the period June 2020.
2. (a) “Exemption in Submission of advance monthly tax payable for a period of two months, subject to the restrictions and conditions specified therein under rule 11 and rule 12 of Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Rule 1991.

(b) After completion of the period of two months, the provision for depositing monthly tax in advance will automatically become effective.
3. This notification shall come into force with the effect from the date of publication in the gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.